



शिवाजी विश्वविद्यालय,
कोल्हापुर, महाराष्ट्र

दूरशिक्षण केंद्र



एम. ए. भाग - २ : हिंदी

सत्र -3 अनिवार्य बीजपत्र- 10

“भारतीय काव्यशास्त्र तथा हिंदी आलोचना”

सत्र -4 अनिवार्य बीजपत्र- 14

“पाश्चात्य काव्यशास्त्र”

(शैक्षिक वर्ष २०१९-२० से)



शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापूर
महाराष्ट्र

दूरशिक्षण केंद्र

सत्र-3 अनिवार्य बीजपत्र-10

“भारतीय काव्यशास्त्र तथा हिंदी आलोचना”

सत्र-4 अनिवार्य बीजपत्र-14

“पाश्चात्य काव्यशास्त्र”

एम. ए. भाग-2 हिंदी

© कुलसचिव, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर (महाराष्ट्र)

प्रथम संस्करण : 2019

एम. ए. भाग 2 (हिंदी : अनिवार्य बीजपत्र-10 और 14)

सभी अधिकार विश्वविद्यालय के अधीन। शिवाजी विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना किसी भी सामग्री की नकल न करें।

प्रतियाँ : 500



प्रकाशक :

डॉ. व्ही. डी. नांदवडेकर

कुलसचिव,

शिवाजी विश्वविद्यालय,

कोल्हापुर - 416 004-



मुद्रक :

श्री. वी. पी. पाटील

अधीक्षक,

शिवाजी विश्वविद्यालय मुद्रणालय,

कोल्हापुर - 416 004.



ISBN-978-93-89327-24-3

★ दूरशिक्षण केंद्र और शिवाजी विश्वविद्यालय की जानकारी निम्नांकित पते पर मिलेगी-

शिवाजी विश्वविद्यालय, विद्यानगर, कोल्हापुर-416 004. (भारत)

★ दूरशिक्षण विभाग-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के विकसन अनुदान से इस साहित्य की निर्मिति की है।

दूरशिक्षण केंद्र
शिवाजी विश्वविद्यालय,
कोल्हापुर

“भारतीय काव्यशास्त्र तथा हिंदी आलोचना”
“पाश्चात्य काव्यशास्त्र”

इकाई लेखक

- | | |
|-----------------------|---|
| ★ डॉ. भरत सगरे | - हिंदी विभाग, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, सातारा |
| ★ डॉ. गजानन भोसले | - अध्यक्ष, हिंदी विभाग, यशवंतराव चव्हाण आर्ट्स कॉमर्स अॅण्ड सायन्स महाविद्यालय, पाचवड |
| ★ डॉ. सुरेश शिंदे | - अध्यक्ष, हिंदी विभाग, पद्मभूषण वसंतदादा पाटील महाविद्यालय, तासगाव. |
| ★ प्रा. महादेव माने | - अध्यक्ष, हिंदी विभाग, श्रीमती आक्काताई रामगौडा पाटील कन्या महाविद्यालय, इचलकरंजी. |
| ★ डॉ. एस. पी. चिंदगे | - देशभक्त आनंदराव ब. नाईक कॉलेज, चिखली, ता. शिराळा, जि. सांगली. |
| ★ प्रा. डॉ. दिपक तुपे | - सहाय्यक प्राध्यापक, हिंदी विभाग, विवेकानंद कॉलेज (स्वायत्त) कोल्हापुर. |

■ सम्पादक ■

डॉ. एस. पी. चिंदगे
विभागाध्यक्ष, देशभक्त आनंदराव ब. नाईक कॉलेज,
चिखली, ता. शिराळा, जि. सांगली

डॉ. आर. पी. भोसले
अध्यक्ष, हिंदी अध्ययन मंडल,
शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर एवं
कला, वाणिज्य व शास्त्र महाविद्यालय,
पुसेगांव

अनुक्रमणिका

	पृष्ठ
सत्र-3 : भारतीय काव्यशास्त्र तथा हिंदी आलोचना	
1. संस्कृत काव्यशास्त्र	1
2. अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत और वक्रोक्ति सिद्धांत	60
3. ध्वनि सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत	86
4. हिंदी आलोचना तथा आलोचक	118
सत्र-4 : पाश्चात्य काव्यशास्त्र	
1. पाश्चात्य काव्यशास्त्र - प्लेटो, अरस्तू, लॉजाइनस्	161
2. टी. एस्. इलियट, वर्ड्सवर्थ, आइ-ए-रिचर्ड्स	189
3. विविधवाद भाग १	216
4. विविधवाद भाग २	240




शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

दूरशिक्षण केंद्र

प्रमाणपत्र

दूरशिक्षण केंद्राकडून तयार करण्यात आलेल्या खालील स्वयंअध्ययन साहित्यामध्ये डॉ दिपक तुपे, विवेकानंद महाविद्यालय, ताराबाई पार्क, कोल्हापूर यांनी घटक लेखन केले आहे.

अ. क्र	स्वयंअध्ययन साहित्याचे नाव	आयएसबीएन नंबर	शेरा
१	बी. ए व बी कॉम भाग १ हिंदी (आवश्यक पेपर) : सृजनात्मक लेखन / व्यावहारिक लेखन	978-93-89327-22-9	सत्र १ घटक क्रमांक २ : कविता, कहानी तथा यात्रा वृत्तांत लेखन चे लेखन
२	बी. ए. भाग २ हिंदी : सत्र ३ प्रश्नपत्र ३ अस्मितामूलक विमर्श और हिंदी गद्य साहित्य / सत्र ४ प्रश्नपत्र ५ रोजगार परक हिंदी	978-93-89327-96-0	सत्र ३ घटक क्रमांक ४ : कथेत्तर साहित्य : अखबारी विज्ञापन (रेडिओ नाटक), वकील साहब, म.गांधी (संस्मरण) चे लेखन
३	एम. ए. भाग २ हिंदी : सत्र ३ भारतीय काव्यशास्त्र तथा हिंदी आलोचना / सत्र ४ पाश्चात्य काव्यशास्त्र	978-93-89327-24-3	सत्र ३ घटक क्रमांक १, ३ व ४ मध्ये उपघटकांचे लेखन (शब्द शक्ती, शब्द शक्ति के भेद - रस : साधारणीकरण, औचित्य के भेद - प्रमुख आलोचक - नंददुकारे वाजपेयी, नामवर सिंह, रिचर्डस : संप्रेषण सिध्दांत, मूल्य सिध्दांत)


उपकुलसचिव

संदर्भ : शिवाजी वि./दूरशिके/११०

दिनांक : 16 DEC 2021

ह।

१.३.५ शब्दशक्ति, शब्दशक्ति के भेद।

१.३.१ शब्दशक्ति :

शब्द का अस्तित्व उसके अर्थ पर निर्भर करता है। शब्द के उच्चारण और उसके अर्थ के बीच एक अप्रत्यक्ष क्रिया होती है वही शब्दशक्ति है। शब्दशक्ति को शक्ति, वृत्ति या व्यापार कहा जाता है। जैसे ईमली का नाम लेते ही मुँह में पानी आता है और भूत का नाम लेते ही भय का संचार हो जाता है। इससे कहा जा सकता है कि हर शब्द के साथ उसका अर्थ जुड़ा होता है। जिस शक्ति के द्वारा शब्द का अर्थगत प्रभाव पड़ता है वह शब्दशक्ति है। कविता में शब्द और अर्थ का संबंध निहित होता है। सार्थक शब्दों के माध्यम से साहित्यकार अपने भावों, विचारों, कल्पनाओं, अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता है। आग और उष्णता का संबंध जिस प्रकार का है ठीक उसी प्रकार का संबंध शब्द और अर्थ के बीच का है। काव्य में रस की निष्पत्ति शब्द-शक्ति के द्वारा ही होती है। हमारे मन में उत्पन्न भाव शब्द के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं।

दरअसल शब्द में एक से अधिक अर्थ छिपे होते हैं; जो समय, स्थिति, प्रसंग के अनुरूप व्यक्त होते हैं। जिस कारण या जिस व्यवहार से मनुष्य शब्द के अर्थ ग्रहण करता है उसे ही शब्दशक्ति कहा जाता है। कवि काव्य भाषा की वाक्य रचना में अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग आशय-विषय के अनुसार करता है। शब्द की शक्ति शब्द में अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। संस्कृत आचार्य के अनुसार 'शब्दार्थ-संबंधः शक्तिः' अर्थात् शब्द और अर्थ के परस्पर संयोग से शब्द शक्ति कहते हैं अर्थात् शब्द के जिस व्यापार से उसके अर्थ का बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। हर शब्द किसी-न-किसी अर्थ का वाचक होता है तो कई बार शब्द एक से अधिक अर्थ का द्योतक होता है, समय, स्थिति एवं प्रसंग के अनुसार वह विशेष अर्थ को व्यक्त करता है।

जिस शक्ति से शब्द का अर्थगत प्रभाव पड़ता है असल में वही शब्दों की शक्ति होती है अर्थात् शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति ही शब्दशक्ति है। रीतिकालीन आचार्य चिंतामणि ने इस संदर्भ में ठीक ही लिखा है- 'जो सुन पड़े सो शब्द है, समझि परै सो अर्थ' अर्थात् जो सुनाई पड़े वह शब्द है और जो सुनकर समझ में आए या अवगत हो वही उसका अर्थ है यानी जो ध्वनि सुनाई पड़ती है वह शब्द और उस ध्वनि से जो संकेत मिलता है या अर्थ समझ में आता है वही उसका अर्थ है। दरअसल शब्द से अर्थ का बोध होता है।

इस प्रक्रिया में शब्द बोधक यानी बोध कराने वाला है और इसका अर्थ हुआ बोध्य अर्थात् जिसका बोध कराया जाए। जितने प्रकार के शब्द होंगे उतनी प्रकार की शब्द शक्तियाँ होंगी। शब्द तीन प्रकार होते हैं-वाचक, लक्षक, व्यंजक। ठीक इसी के अनुरूप शब्द के तीन अर्थ होते हैं-वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। शब्द और अर्थ के अनुरूप शब्द की तीन शक्तियाँ बनी है अभिधा, लक्षणा औ व्यंजना।

वाचक शब्द यानी वाच्यार्थ (मुख्यार्थ) का संबंध अभिधा शब्द शक्ति से, लक्षक यानी लक्ष्यार्थ का संबंध लक्षणा शब्द शक्ति से और व्यंजना यानी व्यंग्यार्थ का संबंध व्यंजना शब्द शक्ति से होता है। इसे निम्नलिखित रूप से अच्छी तरह से समझाया जा सकता है-

अनु.क्र.	शक्ति	शब्द	अर्थ
१.	अभिधा	वाचक/अभिधेय	वाच्यार्थ/अभिधेयार्थ/मुख्यार्थ
२.	लक्षणा	लक्षक/लाक्षणिक	लक्ष्यार्थ
३.	व्यंजना	व्यंजक	व्यंग्यार्थ/व्यंजनार्थ

वाच्यार्थ मुख्यार्थ होता है जबकि लक्ष्यार्थ लक्षित और व्यंग्यार्थ व्यंजित, सूचित, प्रतीत या ध्वनित होता है। शब्द के तीन भेद है-१) वाचक शब्द, २) लक्षक शब्द, ३) व्यंजक शब्द। इनका विवेचन-विश्लेषण निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत है-

१) वाचक शब्द :

जो शब्द साक्षात अर्थ की प्रतीति देता है उसे वाचक शब्द कहा जाता है। ये शब्द मुख्य अर्थ या सांकेतिक अर्थ का बोध कराते हैं अर्थात् जिस शब्द का अर्थ अभिधा शब्दशक्ति द्वारा जाना जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। इसके चार भेद माने जाते हैं; जैसे-जातिवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक और द्रव्यवाचक। वाचक शब्द से वाच्यार्थ की प्राप्ति होती है। वाच्यार्थ: किसी शब्द का अभिधा शब्दशक्ति द्वारा प्राप्त अर्थ वाच्यार्थ कहा जाता है और उसे मुख्यार्थ भी कहा जाता है।

२) लक्षक शब्द:

जो शब्द मुख्य अर्थ से भिन्न या अन्य अर्थ को ध्वनित करता है उन्हें लक्षक शब्द कहते हैं। ज्यो शब्द लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा लक्ष्य अर्थ को द्योतित करता है उसे लक्षक शब्द कहा जाता है। लक्षक

शब्द से लक्ष्यार्थ का बोध होता है। लक्ष्यार्थ: लक्षणा शब्दशक्ति द्वारा ज्ञात शब्दार्थ को लक्ष्यार्थ कहा जाता है।

३) व्यंजक शब्द :

जिन शब्दों से व्यंग्य अर्थ का बोध होता है उन्हें व्यंजक शब्द कहते हैं और उस अर्थ को व्यंग्यार्थ कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जिस शब्द से व्यंजना शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ प्राप्त हो जाता है उसे व्यंजक शब्द कहते हैं। व्यंग्यार्थ: व्यंजना शक्ति द्वारा प्राप्त अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं।

वाचक, लक्षक और व्यंजक शब्दों के आधार पर वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ की प्राप्ति होती है और इसी अर्थ के आधार पर शब्द की तीन शक्तियाँ बनी हुई है-१) अभिधा-२) लक्षणा और व्यंजना।

१.३.२ शब्दशक्ति के भेद :

शब्द के विविध अर्थों के आधार पर शब्द शक्ति के प्रकारों का निर्धारण किया जाता है। शब्द के जितने प्रकार के अर्थ होते हैं भाषा में उतने ही प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती हैं। शब्दों से ही अर्थ का बोध होता है। प्रक्रिया या पद्धति के आधार पर भाषा में शब्द शक्ति के अंतर्गत तीन प्रकार के शब्द होते हैं। १) अभिधा २) लक्षणा ३) व्यंजना। लेकिन कुछ आचार्यों ने वाक्य का वास्तविक मंतव्य बोध कराने वाली चौथी तात्पर्या शब्द शक्ति मानी है। अभिहितान्वयवादी मीमांसकों का कहना है कि शब्दों में वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ को ज्ञात कराने वाली शक्ति निहित होती है, किंतु वाक्य में उनके एक-दूसरे से अन्वित होने पर ही वे वक्ता के वास्तविक तात्पर्य को ग्रहण कर पाते हैं। उनके अनुसार वाक्य, योग्यता, सन्निधि और आकांक्षा से युक्त पद समूह और उनका तर्क संगत संबंध ज्ञान हो जाने पर ही वाक्य का ज्ञान अवगत होता है। इसे तात्पर्यावृत्ति (चौथी) शब्द शक्ति कहते हैं। इस संदर्भ में डॉ. भोलाशंकर व्यास अपनी 'ध्वनि संप्रदाय और उसके सिद्धांत' किताब में लिखते हैं 'तात्पर्य नामक चौथी शक्ति (वृत्ति) वस्तुतः शब्द की शक्ति न होकर वाक्य की शक्ति है, अतः उसका समावेश शब्द शक्तियों में उपचार रूप से ही किया जाता है।' इससे स्पष्ट होने में देर नहीं लगती कि शब्दों में तीन ही शक्तियाँ होती हैं और वह हैं अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इन तीनों शब्द शक्तियों का विवेचन निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत है-

१.३.२.१ अभिधा :

जिस शब्द शक्ति के द्वारा शब्द के मुख्य/पहला/प्रसिद्ध/प्रचलित/पूर्वविदित/अभिधेय अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इस शक्ति से शब्द के सामान्य, प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध होता है। ये शब्द मुख्य या प्रथम अर्थ का बोध कराते हैं इसी कारण उसे अग्रिमा, प्रथमा, मुख्या, अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। यह शब्द शक्ति साधारण और व्यावहारिक अर्थ को प्रकट करती है। इस शब्द शक्ति से शब्द का कोशगत अर्थ लिया जा सकता है। नाम जाति, गुण, द्रव्य या क्रिया का होता है और ये सारे साक्षात् संकेतित होते हैं। ये वाचक शब्द गुणवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक तथा

क्रियावाचक चार प्रकार के होते हैं। सार यह कि सांकेतिक या मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं।

अभिधा शब्द वाक्य के अंतर्गत मुख्य या सांकेतिक अर्थ को ही प्रकट करते हैं। संकेत ग्रह संकेतिक अर्थ ग्रहण या अर्थ ज्ञान से हो जाता है। वाचक शब्द और अभिप्रेत अर्थ -इन दोनों के बीच; जो संबंध होता है; उसका ग्रहण या ज्ञान ही संकेत ग्रह है। संकेत ग्रह निम्नलिखित साधनों से होता है-व्याकरण, उपमान पद, कोश, आप्त वाक्य, व्यवहार, सिद्ध पद का सान्निध्य, वाक्यशेष और विवृति या टीका। इसमें अर्थों का बोध नाम या सूचना से ही मिल जाता है; जैसे बैल, गधा, गंगा, पर्वत, हाथी आदि वाचक शब्द है। इनके उच्चारण से मूल अर्थ का बोध हो जाता है। उदा. बैल खड़ा है। यह वाक्य सुनते ही बैल नामक एक विशेष प्रकार का जीव हम जान लेते हैं। बैल शब्द से आदमी या किताब का बोध नहीं होता। बैल वाचक शब्द है, जिसका मुख्यार्थ विशेष जीव है। वाचक शब्द से सीधे अर्थ का बोध होता है। अभिधा शब्द शक्ति से तीन प्रकार के शब्दों का अर्थबोध हो जाता है। १) रूढ शब्द २) यौगिक शब्द ३) योग रूढ शब्द।

१.३.२.१.१ रूढ शब्द :

ये वे शब्द होते हैं, जो खंडित नहीं किए जा सकते। खंडित करने पर इनका अर्थ बिखर जाता है। ये शब्द जातिवाचक होते हैं। इन शब्दों की व्युत्पत्ति नहीं की जा सकती; जैसे- पेड़, चंद्र, घोड़ा, गढ़, राजा, मनुष्य आदि।

१.३.२.१.२ यौगिक शब्द :

ये वे शब्द हैं जिनका अर्थ बोध अवयवों (प्रकृति और प्रत्ययों) या दो शब्दों के पृथक्-पृथक् या एक साथ होने पर होता है। इन यौगिक शब्दों की व्युत्पत्ति की जा सकती है। जैसे-भूपति, नरपति, पाचक, दिवाकर, सुधांशु आदि। 'भू' का अर्थ है - पृथ्वी और 'पति' का अर्थ है -स्वामी। इन दोनों के मिलन से पृथ्वी का स्वामी अर्थ प्रतीत होता है। इस तरह से अन्य शब्दों की व्युत्पत्ति की जा सकती है।


१.३.२.१.३ योग रूढ :

ये वे शब्द हैं जिनका अर्थबोध समुदाय या अवयवों की शक्ति से होता है। दरअसल ये शब्द यौगिक ही होते हुए भी अर्थ विशेष में रूढ होते हैं; उदा: जलज अर्थात् जल में उत्पन्न होने वाली कोई वस्तु या वनस्पति। लेकिन जलज का अर्थ कमल के लिए रूढ हो गया है। आज यह अर्थबोध योगरूढ बन गया है। उसी प्रकार पंकज है जिसका अर्थ पंक या कीचड़ में उत्पन्न होने वाली वस्तु, लेकिन पंकज का अर्थ आज कमल के लिए रूढ हो चुका है अर्थात् यह अर्थबोध योग रूढ हो चुका है।

१.३.२.२ लक्षणा :

जहाँ शक्ति के द्वारा शब्द का मुख्य अर्थ समझने में बाधा आ जाती है और रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ से भिन्न या अन्य अर्थ को लक्ष्य किया जाता है वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा ज्ञात कराने वाले अर्थ को लक्ष्यार्थ या लक्षक कहते हैं। इस शब्द शक्ति

में मुख्य अर्थ के ग्रहण में बाधा आ जाती है। रूढ़ि या प्रयोजन का आधार बनाकर मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ लक्षित होता है, वही लक्षणा शब्द शक्ति है। इसमें लक्षक और लक्ष्य महत्वपूर्ण होता है। उदा: सुरेश गधा है। यहाँ गधे का लक्ष्यार्थ मुख है, किसी जानवर से नहीं। यहाँ गधे का मुख्यार्थ न लेकर गधे की भाँति 'मुख' लिया गया है याने सुरेश गधे के समान मुख है। लक्षणा शब्द शक्ति से भाषा में प्रभाव या चमत्कार उत्पन्न हो जाता है।



➤ लक्ष्यार्थ के आधार पर लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद है-

१.३.२.२.१ रूढ़ा लक्षणा :

जहाँ रूढ़ि के कारण मुख्य अर्थ के स्थान पर लक्षित अर्थ को ग्रहण किया जाता है, वहाँ रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। दूसरे शब्दों में-जहाँ मुख्य अर्थ ग्रहण करने में बाधा आ जाती है, वहाँ रूढ़ि के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है, उस शक्ति को रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। उदा. पंजाब वीर हैं-इस वाक्य में पंजाब का लक्ष्यार्थ है - पंजाब के निवासी। यह अर्थ रूढ़ि के आधार पर ग्रहण किया गया है। अतः रूढ़ा लक्षणा है।

१.३.२.२.२ प्रयोजनवती लक्षणा :

जहाँ मुख्य अर्थ ग्रहण करने में बाधा आ जाती है, वहाँ किसी विशेष प्रयोजन के लक्षित अर्थ का बोध किया जाता है, उस शक्ति को प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। यहाँ मुख्य अर्थ का बोध हो जाता है, मगर किसी विशेष प्रयोजन के कारण मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाला लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, उसे प्रयोजनवती लक्षणा कहा जाता है। साहित्यदर्पणकार ने इसके ८० भेद माने हैं। उदा. सोहन उल्लू है। इस वाक्य में उल्लू का लक्ष्यार्थ मुख लिया गया है और यह सोहन की मुखता को व्यक्त करने के प्रयोजन से लिया गया है। उदा. तुम तो पूरे बैल हो। इस वाक्य में मुखार्थ बाध है। यहाँ बैल कहने का प्रयोजन मुखता को प्रभावी ढंग से व्यक्त करना है। प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद माने जाते हैं-

१.३.२.२.२.१ गौणी लक्षणा :

सादृश्य संबंध या समान गुणविशेष या गुणधर्म के चलते लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती है वहाँ गौणी लक्षणा होती है। जैसे मुख कमल। यहाँ मुख्य अर्थ में बाधा आ जाती है क्योंकि मुख कमल नहीं हो सकता, मगर गौणी लक्षणा के द्वारा कमल जैसा सुंदर, कोमल मुख है। यहाँ सुंदरता या कोमलता उसका गुण है। इन गुणों के कारण वह गौणी लक्षणा है। दूसरा उदा. आपका गाँव पानी में बसा है। दरअसल पानी में गाँव नहीं बसता। पानी का अर्थ जलधारा का तट है। अर्थात् तट पर बसे गाँव में पानी समान शीतलता या पवित्रता है। गौणी लक्षणा के दो भेद बताए जाते हैं-

१.३.२.२.२.१.१ सारोपा गौणी लक्षणा :

किसी पद में उपमेय और उपमान दोनों को शब्द के द्वारा निर्देश दिया जाता है और अभेद भी कहा जाता है, वहाँ सारोपा लक्षणा होती है अर्थात् जिस लक्षणा में आरोप्य भाव (विषय) और आरोप का विषय इन दोनों की शब्द द्वारा उक्ति हो जाती है, वहाँ सारोपा गौणी लक्षणा होती है। आज भुजंगों से बैठे हैं वे कंचन के घड़े दबाए। वे (पूँजीपतियों) विषयी और विषय दोनों ही शब्दों द्वारा उक्त है।

१.३.२.२.२.१.२ साध्यवसाना गौणी लक्षणा :

जहाँ सिर्फ उपमान का कथन होता है और लक्ष्यार्थ की प्रतीति हेतु उपमेय पूरी तरह से लुप्त हो जाता है, वहाँ साध्यवसाना लक्षणा होती है। इसमें आरोप का विषय लुप्त रहता है, शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं किया जाता जबकि विषयी द्वारा ही उसका कथन हो जाता है। उदा. जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए। यहाँ शेर का अर्थ वीर पुरुष से है और गीदड़ का अर्थ कायर लिया गया है। उपमेय को पूरी तरह से छिपा देने के कारण ही यहाँ साध्यवसाना लक्षणा है।

१.३.२.२.२.२ शुद्धा लक्षणा :

लक्षणा के जिस रूप से मुखार्थ या लक्ष्यार्थ में कोई समानता व्यक्त नहीं होती बल्कि सादृश्य से भिन्न संबंध स्थापित किए जाते हैं। सादृश्य संबंध के विपरीत किसी अन्य संबंध से लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती है, वहाँ शुद्धा लक्षणा होती है। इस लक्षणा में गुण का सहारा नहीं लिया जाता बल्कि अन्य संबंध

से अर्थ का सहारा लिया जाता है। इसमें सादृश्य के अतिरिक्त अन्य संबंध यानी तात्कर्म्य संबंध या आधारधेय भाव संबंध से लक्षित अर्थ का बोध हो जाता है। उदा.

अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी

आँचल में है दूध और आँखों में पानी।

इसमें मुख्य अर्थ में बाधा आ जाती है क्योंकि आँचल में दूध नहीं है जबकि आँचल के सामीप्य के कारण स्तन में दूध का होना अर्थ ग्रहण किया है। दरअसल मातृत्व का बोध कराना लक्षणा का प्रयोजन है। समान गुणधर्म के बजाय दूसरे नजदीकी संबंध से लक्ष्यार्थ की प्रतीति हो रही है, इसलिए यह शुद्धा लक्षणा है।

१.३.२.२.२.१ उपादान लक्षणा :

जिस शक्ति में मुख्यार्थ बना रहता है और लक्ष्यार्थ का बोध मुख्यार्थ के साथ ही हो जाता है; वहाँ उपादान लक्षणा होती है। दूसरे शब्दों में प्रयोजन प्राप्त अर्थ की सिद्धी हेतु अन्य को ग्रहण किए जाने पर मुख्य अर्थ का बने रहना यानी उपादान लक्षणा है। इस शब्द शक्ति को अजहरस्वार्थी भी कहते हैं। इसमें मुख्य अर्थ को त्याग नहीं दिया जाता जबकि उसे ग्रहण किया जाता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार 'वाक्यार्थ में अंग के रूप से अपने अन्वय की सिद्धी के लिए जहाँ मुख्य अर्थ अन्य अर्थ का आक्षेप करता है, वहाँ आत्मा अर्थात् मुख्यार्थ के बने रहने से, उस लक्षणा को उपादान लक्षणा कहते हैं।' उदा. लाल पगड़ी आ रही है। इस वाक्य में लाल पगड़ी भी आ रही है और लाल पगड़ी पहना हुआ सिपाही भी आ रहा है। इसमें लाल पगड़ी-मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ-सिपाही का भी बोध हो जाता है-यही उपादान लक्षणा है। इसके दो भेद हैं-१) सारोपा उपादान लक्षणा, २) साध्यवसाना उपादान लक्षणा।

१.३.२.२.२.२ लक्षण लक्षणा :

इसे जटत्स्वार्थी भी कहते हैं। जहाँ मुख्य अर्थ की बाधा हो जाने पर प्रसंगानुरूप मुख्यार्थ को त्याग दिया जाता है और लक्षित अर्थ ग्रहण किया जाता है; जिसमें मुख्यार्थ खत्म हो जाता है और लक्ष्यार्थ का बोध हो जाता है, उस शक्ति को लक्षण लक्षणा कहा जाता है। जैसे-मोहन गया है। यह लक्षण लक्षणा का उदाहरण है। इसके दो भेद हैं-१) सारोपा लक्षण लक्षणा, २) साध्य लक्षण लक्षणा।

१.३.२.३ व्यंजना :

वि + अंजना = दो शब्दों के योग से व्यंजना शब्द बनता है। व्यंजना का सीधा अर्थ है विशेष प्रकार का अंजन। जैसे अंजन लगाने से नेत्रों की ज्योति बढ़ जाती है और परेक्ष वस्तु दिखाई देने लगती है। व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा अप्रकट अर्थ प्रकट होते हैं। जहाँ अभिधा और व्यंजना शब्द शक्ति अर्थ व्यक्त करने या बतलाने में असमर्थ हो जाती है वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यह शब्द शक्ति काव्य में छिपे गुढ़ अर्थ को व्यक्त करती है। जहाँ अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति शब्द का अर्थ स्पष्ट करने में असमर्थ हो जाती है वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति व्यंजित अर्थ का बोध कराती है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहा जाता है।

व्यंजना शब्द शक्ति में मुख्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ का बोध हो, ऐसे शब्दों को (व्यंजक और अर्थ को) व्यंग्यार्थ कहते हैं। कभी-कभी अभिधा या व्यंजना से अर्थ का बोध नहीं हो पाता तब अभिप्रेत अर्थ तक पहुँचाने के लिए व्यंजना शब्द शक्ति का उपयोग किया जाता है। शब्द का अर्थ विशेष रूप से खोलने या विशेष रूप से स्पष्ट करने या विकसित करने का कार्य व्यंजना शब्द शक्ति करती है। उदा. सूर्य का अस्त हुआ। इसका मुख्य अर्थ है-सूर्य डूब गया और लक्ष्यार्थ हुआ-संध्या हो गई। किंतु व्यंग्यार्थ प्रसंग या परिस्थिति के अनुरूप कई हो सकते हैं; जैसे-संध्योपसना का समय हो गया। ग्वाले के लिए इसका अभिप्राय है-पशुओं को घर ले जाने का समय हो गया है। श्रमिकों के लिए इसका अर्थ होगा-काम खत्म कर घर जाने का समय हो गया। चोर के लिए अब चोरी के लिए जाने की तैयारी करनी चाहिए। नवविवाहिता के लिए पति के आने का समय हो गया है। व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद माने गए हैं। १) शाब्दी व्यंजना २) आर्थी व्यंजना।

१.३.२.३.१ शाब्दी व्यंजना :

शाब्दी व्यंजना में शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ का बोध होता है। यदि वह शब्द हटा दिया जाए तो व्यंग्यार्थ खत्म हो जाता है। इसमें शब्दों का प्राधान्य या महत्त्व होता है। कवि द्वारा प्रयुक्त शब्द के स्थान पर समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द रखा जाए तो व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है। यहाँ व्यंग्यार्थ किसी शब्द विशेष पर निर्भर करता है। व्यंजक शब्द के स्थान पर दूसरा समानार्थी शब्द रखने पर व्यंग्यार्थ की प्रतीति नहीं हो पाती।

उदा. चिरजीवो जोरी जुरै क्यों न सनेह गंभीर।

को घटि ए वृषभानुजा वे हलधर के वीर।।

अगर इनमें से वृषभानुजा या हलधर के वीर इन शब्दों के कारण ही व्यंजना सौंदर्य है। ये ऐसे शब्द हैं जिसके स्थान पर समानार्थी या पर्यायवाची शब्द का प्रयोग संभव नहीं है। इन्हीं शब्दों पर ही संपूर्ण व्यंग्यार्थ आश्रित है। इस शक्ति में शब्द का ही महत्त्व होता है; इसलिए उसे शाब्दी व्यंजना कहा जाता है।

१.३.२.३.१.१ अभिधामूला शाब्दी व्यंजना :

जिस शक्ति द्वारा अनेकार्थी शब्दों के संयोग से एक अर्थ निश्चित हो जाने पर व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो जाती है, उसे अभिधामूला शाब्दी व्यंजना कहा जाता है। ये शाब्दी व्यंजना शब्दों पर निर्भर करती है। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं; वहाँ प्रकृतोपयोगी एकार्थ का संयोगादि द्वारा निश्चित होकर अभिप्रेत अर्थ व्यंजित हो उठता है, उसे अभिधामूला शाब्दी व्यंजना कहा जाता है। उदा. सोहत नाग न मद बिना, तान बिना नहीं राग। इस उदाहरण में नाग और राग दोनों अनेकार्थी शब्द हैं, किंतु वियोग के कारण इनका अर्थ नियंत्रित हो गया है। इसमें नाग का अर्थ हाथी और राग का अर्थ रागिनी है। नाग का पर्यायवाची भुजंग रख दिया जाए तो व्यंग्यार्थी हो जाएगा।

१.३.२.३.१.२ लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना :

जिस प्रयोजन के लिए लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया जाता है और उस प्रयोजन की प्रतीति कराने वाली शब्द शक्ति को लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना कहते हैं। जहाँ शब्दों पर आधारित व्यंजना के लिए लक्षणा की जरूरत पड़ती है वहाँ लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना कहा जाता है। इसमें उद्देश्य पूर्ति के लिए लक्षणा का आश्रय लिया जाता है। अन्य शब्द रख देने पर व्यंजना खत्म हो जाती है। जिस शब्द शक्ति के द्वारा लक्षित अर्थ से व्यंग्यार्थ उत्पन्न हो जाता है उसे लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना कहते हैं। उदा. आप तो निरै विशाखनंदन हैं। यहाँ लक्षणा है मुखता, मगर वैशाखनंदन शब्द व्यंग्यार्थ तक पहुँचाता है। यहाँ वैशाखनंदन शब्द की जगह पर अन्य शब्द रख दिया जाए तो व्यंजना का खत्म हो जाती है। उदा. वह मनुष्य नहीं निरा उल्लू है। यहाँ उल्लू शब्द से महामुर्ख व्यंजित है और यह शब्द गुणकृत साधर्म्य के आधार पर लाक्षणिक है।

१.३.२.३.२ आर्थी व्यंजना :

जहाँ व्यंजना किसी शब्द विशेष पर आश्रित न होकर अर्थ पर आश्रित होती है वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि व्यंग्यार्थ या ध्वन्यार्थ किसी विशेष शब्द पर निर्भर नहीं होता बल्कि अर्थ पर निर्भर होता है। इसमें व्यंग्यार्थ संपूर्ण वाक्यार्थ पर निहित होता है। उदा. किसी धूर्त व्यक्ति द्वारा लोगों से ठगते देखकर कोई कहे कि आप बड़े महात्मा है। इस वाक्य में महात्मा से व्यंग्यार्थ ध्वनित होता है। दुष्ट व्यक्ति ऐसा अर्थ निकालते हैं। यहाँ महात्मा के स्थान पर साधु, पंडित, सज्जन शब्द के इस्तेमाल पर भी व्यंजना बनी रहेगी।